न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 134/2020 निगरानी

उनवान

श्री नानालाल पिता द्वारकादास वैष्णव निवासी बोराणा तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।

—निगराकार

बनाम

1. श्री महावीर पिता उंकारदास वैष्णव निवासी बोराणा तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बोराणा, पंचायत समिति रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा।
3. सचिव, ग्राम पंचायत बोराणा पंचायत समिति रायपुर, तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा

—गैर निगराकारान्

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा दिनांक 03.02.2013 को निरस्त कराया जाने बाबत।

1. निगराकार अधिवक्ता – मांगीलाल सेन, श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. गैर निगराकार संख्या 01 – अनुपस्थित।
3. गैर निगराकार संख्या 02 व 3– राजकीय पैरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 20/01/2026

1– निगराकार अधिवक्ता की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर कथन किया गया कि– अधीनस्थ ग्राम पंचायत बोराणा द्वारा ग्राम बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज०) मे स्थित अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र में स्थित पुश्तैनी भूखण्ड साईज 52 बाई 55 वर्गफीट है जो कि जानकीदास पिता प्रभुदास जी वैष्णव के नाम का पुष्तैनी भूखण्ड स्थित है उसके तत्कालीन व वर्तमान पडौस निम्न प्रकार है पूर्व :– छगन जी कौठारी का भूखण्ड, पश्चिम :– सरकारी पड़त भूमि, उत्तर :– आम रास्ता, दक्षिण :– पड़त सरकारी भूमि, उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत बोराणा द्वारा दिनांक 11/05/1969 को बापी पटटा जानकीदास पिता प्रभूदास जी वैष्णव के नाम पर जारी किया गया उक्त भूखण्ड मे 1/3 एक तिहाई हिस्सा निगराकार का आता है व 1/3 एक तिहाई हिस्सा महावीरदास का व 1/3 एक तिहाई हिस्सा रामेश्वरदास जी का आता है उसी अनुसार काबीज है इस भूखण्ड के उत्तर दिशा मे रास्ता है जो 40 फीट चौडा है तथा हमारे भूखण्ड व रास्ते के बीच करीब 20 बीस फीट जगह पर रामेश्वरदास, महावीरदास, व निगराकार का संयुक्त कब्जा है किन्तु विपक्षी संख्या 01 एक गैर निगराकार ने ग्राम पंचायत बोराणा से मिलीभगत कर संयुक्त कब्जे वाली पैतृक जायदाद जो रास्ता के लिए उपयोग उपभोग मे संयुक्त रूप से आ रही है उसका प्रशासन आपके द्वारा अभियान में दिनांक 03/02/2013 की अनुपालना में पत्रावली संख्या 290/012–013 की पालना में 04/02/2013 को 70 बाई 17 फीट रास्ता की भूमि का पटटा विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर जारी कर दिया जिसे दिनांक 04/10/2019 को उप–पंजीयक के यहां पंजीयन करवा दिया व मौके पर अवैध निर्माण करने लगा तो प्रार्थी/निगराकार ने मना किया तो विपक्षी/गैर निगराकार संख्या 01 एक ने अपने नाम पर पट्टा होना बताया जिससे प्रार्थी/निगराकार ने पट्टा की प्रमाणित प्रति दिनांक

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

14/01/2020 को प्राप्त की पट्टा की प्रति प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ व उक्त पट्टा विलेख दिनांक 03/02/2013 को प्रस्ताव की अनुपालना में दिनांक 04/02/2013 को जारी किया जिससे असन्तुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन पट्टा को निरस्त कराया जाने हेतू यह आवेदन प्रस्तुत हैं।

2— अधिनस्थ ग्राम पंचायत बोराणा द्वारा तथाकथित भूखण्ड साईज 17 बाई 70 वर्गफीट यानि 1190 ग्यारह सो नब्बे वर्गफीट का रास्ता की भूमि का पत्रावली संख्या 290/012—013 कायम कर प्रस्ताव संख्या 03/02/2013 को लेकर प्रशासन गांव के संघ अभियान मे बिना परिवार व पडौसियों की सहमती प्राप्त किये ही मिलीभगत कर अवैध रूप से तथाकथित पट्टा जारी किया है जो कि निरस्त होने लायक है।

3— तथाकथित पट्टा मे अर्न्तनिहित भूमि प्रार्थी निगराकार एवं विपक्षी/गैर निगराकार संख्या 01 एक रामेश्वरदास के शामलाती उपयोग—उपभोग की होकर अपने पूर्वजों की है जिस पर प्रार्थी/निगराकार एवं विपक्षी/गैर निगराकार संख्या 01 एक महावीरदास एवं रामेश्वरदास का संयुक्त कब्जा होकर सार्वजनिक उपयोग व रास्ता के लिए उपयोग में ली जा रही है जो कि अपने पूर्वजों के समय से ही विधमान है जिसका पट्टा अकेले विपक्षी संख्या 01 एक गैर निगराकार के पक्ष मे जारी नही किया जा सकता है अतः तथाकथित पट्टा काबील निरस्तीकरण के है।

4— ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को मौका की स्थिति की जांच करने के पश्चात पडौसियान व परिवार के भाईयों से अनापत्ति एवं सहमति पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर कानूनन तथाकथित भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है अन्यथा नहीं किया जा सकता है, हालांकि विवादित भूखण्ड का जो पट्टा जारी किया उसमे रास्ता निकलता है इसलिए रास्ता की भूमि का कोई पट्टा जारी नही किया जा सकता है रास्ता की भूमि मे पटटा जारी करने का कोई कानुन मे कोई प्रावधान नही है अतः तथाकथित पट्टा दिनांक 04/02/2013 को जारी किया गया है जो कि निरस्त होने लायक है।

5— विवादित भूमि पैतृक जायदाद है व पटटा भी पेतृक जायदाद है व पट्टा भी पेतृक सम्पति मानते हुऐ जारी किया गया तो परिवार के भाईयों की सहमती क्यो नहीं ली इसका क्या कारण रहा है और यदि सहमती नहीं ली तो उक्त पटटा स्वतः ही प्रभाव हीन होकर अवैध है हालांकि उक्त पटटा रास्ता की भूमि का है जो स्वतः ही अवैध होकर निरस्त होने लायक है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतः प्रार्थी निगराकार का प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम का स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली संख्या 290/012—013 संकल्प संख्या 03 तीन दिनांक 03/02/2013 के आधार पर पट्टा संख्या 47 सेतालिस दिनांक 04/02/2013 को विपक्षी संख्या 01 एक गैर निगराकार के पक्ष मे जारी किया उसे निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

6— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 13.10.2020 को पजीबद्व किया जाकर गैर निगराकारान् को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या—01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर आदेशिका दिनांक 03.04.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि** — ग्राम पंचायत द्वारा तथाकथित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को मौका की स्थिति की जांच करने के पश्चात पडौसियान व परिवार के भाईयों से अनापत्ति एवं सहमति पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर कानूनन तथाकथित भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है अन्यथा नहीं किया जा सकता है, हालांकि विवादित भूखण्ड का जो पट्टा जारी किया उसमे रास्ता निकलता है इसलिए रास्ता की भूमि का कोई पट्टा जारी नही किया जा सकता है रास्ता की भूमि मे पटटा जारी करने का कोई कानुन मे कोई प्रावधान नही है। प्रार्थी निगराकार का प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संशोधित अधिनियम का स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली संख्या 290/012–013 संकल्प संख्या 03 तीन दिनांक 03/02/2013 के आधार पर पट्टा संख्या 47 सेतालिस दिनांक 04/02/2013 को विपक्षी संख्या 01 एक गैर निगराकार के पक्ष मे जारी किया उसे निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

यह है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित गया किया कि ग्राम पंचायत बोराणा द्वारा एक पट्टा श्री जानकी दास पिता श्री प्रभुदास निवासी बोराणा को 52 वाई 45 का 11.05.1969 को जारी किया गया, श्री जानकी दास वैष्णव के तीन पुत्र श्री नानालाल वैष्णव एवं महावीर दास वैष्णव वादी के अनुसार इन तीनों का 1/3–1/3 हिस्सा आता है। उसके अनुसार महावीर दास वैष्णव का 17 वाई 45 का नामान्तरण खोला जाना था। ग्राम पंचायत द्वारा महावीर दास वैष्णव के नया नामान्तरण खोलने के बजाय नया पट्टा पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत 17 वाई 45 के बजाय की जगह नया पट्टा जो कि 17 बाई 70 का जारी कर दिया गया है जो कि नियम विरूद्व है। ग्राम पंचायत बोराणा द्वारा जानकी दास पिता प्रभुदास वैष्णव का एक नया पट्टा पुस्तक संख्या 1445 से पट्टा संख्या 47 जारी कर दिया जो कि खाली भूखण्ड का होने से नियम विरूद्व है। महावीर दास वैष्णव को जारी पट्टा इनके पिताजी के पूर्व में जारी पट्टे 52 बाई 45 से 1/3 से जारी किया जाना था। जिससे समस्त भाई–बहिनों की सहमति आवश्यक होती है जो ग्राम पंचायत द्वारा सहमति नहीं ली गई यह नियम विरूद्व है। ग्राम पंचायत बोराणा द्वारा पूर्व में जानकी दास वैष्णव पिता प्रभुदास वैष्णव के 52 बाई 45 के 1/3 भाग में 25 फीट अतिरिक्त किस आधार पर बनाया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इस तरह ग्राम पंचायत द्वारा नियम की पालना नहीं की गई है।

निगराकार अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि– राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 157 (1) पुराने गृहो का विनियमितीकरण की पालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जाकर गैर निगराकार संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 02 में अंकित गया कि ग्राम पंचायत बोराणा द्वारा एक नया पट्टा पुस्तक संख्या 1445 से पट्टा संख्या 47 जारी कर दिया जो कि खाली भूखण्ड का होने से नियम विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया पट्टा नियम विरूद्व है। इस प्रकार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएवं–

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है। ग्राम पचांयत बोराणा, पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 03.02.2013 को खारीज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बोराणा, पंचायत समिति रायपुर को तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक20–01–2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा